प्रेस नोट *दिनांक 02.12.2025*

अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये रखने के क्रम में थाना हलधरपुर में पंजीकृत अभियोगों में वांछित 01 अभियुक्त पर ₹25 हजार व 04 अभियुक्तों पर ₹15-15 हजार तथा थाना रानीपुर में पंजीकृत अभियोंग में वाछित 02 अभियुक्तों पर 25-25 हजार का पुरस्कार घोषित–

अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना हलधरपुर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 282/25 धारा 2b(ii)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट वांछित निम्नलिखित 01 अभियुक्त के विरूद्ध ₹25 हजार व मु0अ0सं0 317/25 धारा 3(5), 109, 131, 352, 351(3), बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों के विरूद्ध ₹15-15 हजार तथा थाना रानीपुर में पंजीकृत अभियोंग मु0अ0सं0 103(1), 61(2), बीएनएस में वांछित निम्नलिखित 02 अभियुक्तों के विरुद्ध 25-25 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया है–

राजकुमार पुत्र बिन्देश्वर राय निवासी महुआ थाना महुआ जनपद बैशाली विहार। 25000 (पच्चीस हजार)

आदित्य यादव उर्फ गोलू पुत्र बृजेश यादव निवासी पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ । 15000 (पन्द्रह हजार)

शिवा उर्फ शिवानन्द यादव पुत्र राजा यादव निवासी अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ। 15000 (पन्द्रह हजार)

धर्मराज उर्फ गोपी पुत्र राजाराम निवासी बुढ़ावे थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ। 15000 (पन्द्रह हजार)

अकिंत यादव पुत्र श्रीकान्त यादव निवासी जमालपुर बुलन्द थाना हलधरपुर जनपद मऊ। 15000 (पन्द्रह हजार)

थाना रानीपुर-

अरुण राजभर पुत्र स्व. राजेश राजभर निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ। 25000 (पच्चीस हजार)

प्रदीप यादव पुत्र श्यामा निवासी ग्राम नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर। 25000 (पच्चीस हजार)

यातायात माह नवंबर-2025 का समापन कार्यक्रम का आयोजन -

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम में जनपद में दिनांक 01.11.2025 से 30.11.2025 तक यातायात माह का आयोजन किया गया ,दिनांक 30.11.2025 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ, श्री ईलामारन जी. के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार व पुलिस उपाधीक्षक यातायात श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में यातायात माह समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया समापन कार्यक्रम में यातायात माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियो को पुरस्कृत किया गया एवं उनके कार्यों की प्रशंसा की गयी यातायात माह के दौरान जनपद में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन स्वामी/चालकों के विरुद्ध बिना हेमलेट में-15267, दो पहिया पर तीन सवारी के विरुद्ध-1771,पार्किंग के उल्लंघन में-5498, फॉल्टी नम्बर प्लेट में-575,बिना लाइसेन्स-251,बिना इंश्योरेन्स-2336,बिना बैध फिटनेस- 213 तथा विभिन्न धाराओं में कुल 31549 चालान किये गये जिसमें रु. 35800200 का जुर्माना अधिरोपित किया गया व पुलिस द्वारा 484 चालान का निस्तारण(ऑनलाइन,मौके पर) कर रु. 475200 राजकोष में जमा कराया गया ।यातायात नियमों का पालन न करने वालो के विरुद्ध विगत वर्ष में अयोजित यातायात माह से 24541 (350%) अधिक चालान किया गया तथा 12 ड्राईविंग लाइसेन्स निरस्त काराया गया । विभिन्न स्कूलों/कालेजों/संस्थाओं/चौराहों/बाजारों/मेला इत्यादि में यातायात जागरुकता का भी आयोजन किया गया जिसमें करीब 42000 छात्र/छात्राओं/वाहन स्वामी/वाहन चालकों व आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन करने तथा सड़क दुर्घटना में घायलों की मद्द करने हेतु जागरुक किया गया । वर्ष 2024 माह नवम्बर की अपेक्षा में वर्ष 2025 के माह नवम्बर में सड़क दुर्घटना में 15% की कमी दर्ज की गयी । यातायात माह नवम्बर,2025 के समापन कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री श्याम शंकर पाण्डेय व यातायात पुलिस का सम्पूर्ण पुलिस बल मौजूद रहा ।

यातायात माह नवम्बर- 2025 के दौरान मऊ पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही निम्नवत है:-

निरोधात्मक कार्यवाही:-

कुल चालान- 31,549

कुल अधिरोपित शमन शुल्क- 35800200- रु0

कुल ऑनलाइन चालान- 484

कुल ऑनलाइन में जमा शमन शुल्क 475200/- रु0

चालान का विवरणः-

बिना हेल्मेट दो पहिया वाहन चलाना- 15267

नो पार्किंग चालान- 5498

तीन सवारी के साथ दो पहिया वाहन चलाना- 1771

फॉल्टी नम्बर प्लेट- 575

बिना ड्राविंग लाइसेन्स के वाहन चलाना- 251

बिना बीमा के वाहन चलाना- 2336

बिना फिटनेश के वाहन चलाना- 213

कुल निरस्त किये लाइन्सेस - 12

उर्वरक का अवैध निर्माण करते हुए व उनकी पैकिंग करते हुये 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-
पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 02.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना दोहरीघाट संजय कुमार त्रिपाठी व एसओजी व स्वाट टीम के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम व कृषि विभाग के निरीक्षक मय टीम के द्वारा मदन मोहन राय पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र राय के मकान मे अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक (पोटाश, डी.ए.पी, जिंक) निर्मित बरामद किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अबैध रूप से रासायनिक उर्वरक का निर्माण कर बाजार में बेचते थे और मोटी रकम कमाते थे। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>अभियोग का विवरण –</u>

मु.अ.सं. 247/25 धारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 व बढ़ोतरी धारा 318(4)/338/336(3) बीएनएस धारा 08 उर्वरक अधि0 1985 व धारा 63 कापी राइट एक्ट 1957 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

अभियुक्त का विवरण –

1. विक्रम राय पुत्र मदन मोहन राय उम्र 47 वर्ष निवासी पीलीकोठी गोंठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. श्री अमन राय पुत्र राम नरायन राय उम्र 26 वर्ष निवासी कुतुबपुर थाना रामपुर तहसील मधुबन जनपद मऊ,
3. नवनीत राय पुत्र मदन राय उम्र 35 वर्ष निवासी पीलीकोठी गोंठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ,
4. श्रमिक एवं चालक अरविन्द राय पुत्र सिंहासन प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी अतरसांवा मांदी सिपाह बड़रांव जनपद मऊ

वांछित अभियुक्त का विवरण-

1. आयुष राय पुत्र विक्रम राय उम्र करीब 25 वर्ष निवासी पीली कोठी गोंठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

पिकअप, वाहन संख्या UP54BT3497, अवैध रूप से तैयार किये गये जिंक फसल बलवान 07 बोरी(प्रति बोरी 25 कि.ग्रा.), जिंक दयाल 05 बोरी(प्रति बोरी 25 कि.ग्रा.), जिंक 01 बोरी (25 कि.ग्रा.), मैला थियान 02 बोरी(प्रति बोरी 25 कि.ग्रा.), एक बोरी रिजेन्ट कीटनाशी, कारखाने द्वारा निर्मित 29 बोरी डी.ए.पी(प्रति बोरी 50 कि.ग्रा.), यूरिया 18 बोरी(प्रति बोरी 45 कि.ग्रा.), पोटाश(एम.ओ.पी), 10 बोरी सील बन्द (प्रति बोरी 50 कि.ग्रा.), 13 बोरी खुली हुई साथ ही डोनामाईट 22 बोरी (प्रति बोरी 45 कि.ग्रा.), नमक 47 बोरी(प्रति बोरी 45 कि.ग्रा.) इसके साथ साथ उर्वरक निर्माण मे प्रयोग होने वाली सहायक सामग्रियाँ जैसे इलेक्ट्रानिक कांटा 01, बोरी सिलाई मशीन 02, पन्चिंग मशीन 01, तराजू 01, बटखरा (बांट) 01 कि.ग्रा. – 01 व 500 ग्रा. – 01, बालू छानने वाली जाली(बालू छन्ना), सिलाई करने वाला धांगा 04 रील प्राप्त हुये। इसके अलावा उर्वरकों को भरने हेतु खाली बोरियां निम्नवत प्राप्त हुई है - डी.ए.पी की 62 बोरियां खाली (रैपर), पोटाश की 06 बोरियां खाली, नमक की 195 खाली बोरी, जिंक फसल बलवान की एक कि.ग्रा. के 24 खाली

रैपर, जिंक फसल बलवान प्लस के एक कि.ग्रा. के 80 खाली रैपर, बायो डी.ए.पी प्रोम की खाली 11 बोरियां तथा एन.पी.के की 11 खाली बोरियां बरामद की गयी।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार त्रिपाठी मय उ.नि. श्री सन्तोष कुमार व टीम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. उ.नि. मनोज कुमार सिंह (प्रभारी एसओजी) मय एसओजी व स्वाट टीम जनपद मऊ